	Order Sheet Case No BAS	A150M
Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
30/11	आवेदक/आरोपी जिल्ला दुमा अस्ति अपि अर्थ हुना जावेदनपत्र अन्तर्गत धारा 488/439 जा०फो० का पेश किया । नकल संबंधित थाना प्रभारी की ओर भेजकर केश डायरी मय प्रतिवेदन बुलाया जाये/संबंधित अभिलेख बुलाया जावे।	
	आवेदन विविध आपराधिक पंजी में दर्ज किया जावे । प्रकरण केश डायरी प्रतिवेदन/अभिलेख प्राप्ति/तर्क हेतु दिनांक 2 2 1	Apria 2/211

02/02/17

12:30

12:45 p.m

आरोपी / अपीलार्थी विजय उर्फ पप्पू द्वारा श्री राकेश भटेले अधिवक्ता

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल ए.जी.पी. । अधीनस्थ न्यायालय का मूल आपराधिक प्रकरण कुमांक—62 / 2014 ई0फी० प्राप्त ।

प्रकरण आरोपी / अपीलार्थी विजय उर्फ पप्पू के जमानत आवेदनपत्र पर तर्क हेतु नियत है ।

अतः धारा–४३९ द.प्र.सं. के नियमित आवेदनपत्र पर

उभयपक्ष अधिवक्ता के तर्क सुने गये ।

आरोपी / आवेदक के प्रथम नियमित आवेदनपत्र होने तथा अन्य किसी न्यायालय में कोई आवेदनपत्र पेश ना करने और विचाराधीन व निरस्त ना होने बाबत संजय शर्मा का शपथपत्र पेश किया गया है, जिसपर कोई आपत्ति नहीं आयी है । इसलिये आरोपी/आवेदक के प्रथम नियमित आवेदनपत्र मानते हुए उसका निराकरण किया जा रहा है।

अारोपी/अपीलार्थी विजय उर्फ पप्यू का कहना है आरोपी/अपीलार्थी विजय उर्फ पप्यू का कहना है कि वह वार्ड नंबर—4 का स्थाई निवासी होकर शांतिप्रिय व्यक्ति है। दि0—04/06/2016 को बीमार होने के कारण अनुपस्थित हो गयाथा इस कारण अधीनस्थ कारण अनुपस्थित हो गयाथा इस कारण अधीनस्थ न्यायालय ने जमानत मुचलका जब्दा कर गिरफतारी वारण्ट जारी किया जिसपर से उसे गिरफतार कर जेल वारण्ट जारी किया जिसपर से उसे गिरफतार कर जेल मेज दिया गया है। वह भविष्य में कींगी गैर हाजिर नहीं रहेगा दि0—13/07/2015 को बीमार हो गया था, इसलिये उपस्थित नहीं हो सका था। इसलिये आवेदनपत्र स्वीकार कर उचित जमानत मुचलके पर रिहा किए जाने का निवेदन किया।

जबिक ए.जी.पी. का कथन है कि आरोपी/अपीलार्थी विजय उर्फ पण् द्वारा बताया गया कारण संतोषप्रद नहीं है मामला घर में घुसकर सामान चोरी का है। अतः उसका जमानत आवेदनपत्र निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

संलग्न मूल प्रकरण का अवलोकन किया गया, जिससे विदित होता है कि थाना गोहद के अप.क. 62/2014 धारा–380, 457, 379 भादवि. के अपराध के

तहत प्रकरण पंजीबद्ध है ।

श्री पंकज शर्मा, जे.एम.एफ.सी, गोहद के मूल अभिलेख का अवलोकन करने पर यह प्रकट हो रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दि0-07/05/2015 को आरोपीगण भोला उर्फ रोहित एवं आरोपी/अपीलार्थी विजय उर्फ पप्पू पर धारा-457, 380, 379 (03 काउन्ट) भा दं वि० के तहत आरोप विरचित किया गया और प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु 04/06/2015 को नियत जक्त दि0-04/06/2015 गया। आरोपी/अपीलार्थी विजय उर्फ पप्पू के अनुपस्थित रहने से उसके जमानत मुचलके निरस्त किए गये गिरफतारी वारण्ट जारी किया गया। और करीब 13 आरोपी / अपीलार्थी विजय उर्फ पप्पू का पेशियों पर गिरफतारी लगातार किया गया. वारण्ट आरोपी / अपीलार्थी विजय उर्फ पप्पू अनुपस्थित रहा, और दिनांक-20/01/2017 को थाना गोहद पुलिस ने उक्त गिरफतारी बारण्ड के पालम ने आरोपी/अपीलार्थी बिजय Date of Proceeding

Order Sheet [Contd]

Case No. B.A. 55.1. of 20 17 8.75

Date	of
Order	or
Proceed	ling

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

Signature of Parties or Pleaders where necessary

उर्फ पप्पू को गिरफतार कर पेश किया, जिसका उसी दिनांक को जेल वारण्ट बनाया जाकर उपजेल गोहद भेजा गया। आरोपी / अपीलार्थी विजय उर्फ पप्पू के करीब 01 वर्ष 07 माह अनुपस्थित रहा है और उसे पुलिस द्वारा पकडकर लाया गया है। अर्थात उसने स्वयं भी न्यायालय में समर्पण नहीं किया है। उसकी अनुपस्थिति के कारण प्रकरण की कार्यवाही निश्चित रूप से बिलवित हुई है। अभी महत्वपूर्ण अभियोजन साक्षियों की साक्ष्य भी नहीं हुई है, इसलिये आरोपी/अपीलार्थी विजय उर्फ पप्पू के जमानत पर रिहा किए जाने पर उनको प्रभावित किए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। आरोपी / अपीलार्थी विजय उर्फ पप्पू की अनुपस्थिति का जो आधार उसकी तबीयत खराब होने का लिया गया है, वह भी औपचारिक प्रकृति का प्रतीत होता है, क्योंकि आरोपी / अपीलार्थी विजय उर्फ पप्पू के द्वारा स्वयं की बीमारी से संबंधित कोई भी मेडीकल दस्तावेज पेश नहीं किए गये हैं । एवं वर्तमान में चोरी की बढती हुई ह ाटनाओं को देखते हुए भी आरोपी/अपीलार्थी विजय उर्फ पप्प जमानत पाने का पात्र प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी / अपीलार्थी विजय उर्फ पप्पू की ओर से प्रस्तृत जमानत आवेदनपत्र गुणदोषों पर टीका टिप्पणी किए बगैर निरस्त किया जाता है।

आदेश की प्रति मूल प्रकरण के साथ भेजी जावे। इस प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज कर अभिलेखागार में जमा हो ।

(पी.सेंगे. आपी)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड